

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं / पार्ट-V

-:: कार्यालय आदेश ::-

श्रीमती मिथलेश कुमारी अग्रवाल पत्नी श्री खेमचन्द अग्रवाल, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर जिनकी जन्म तिथि 04.06.1966 हैं, एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 01.09.1993 है को उनके स्वयं के प्रार्थना-पत्र पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 (1) के उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 01.11.2024 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

वित्त विभाग (नियम) अनुभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं. 12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मिथलेश कुमारी अग्रवाल के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का दिवस इनका अकार्य दिवस माना जावेगा।

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3(1)2011 / कार्मिक / से.नि. / प्रमुवसं-01991 / पार्ट-V
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर को उनके पत्रांक 5620 दिनांक 17.09.2024 के क्रम में।
3. कोषाधिकारी कोषालय, भरतपुर।
4. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।
5. श्रीमती मिथलेश कुमारी अग्रवाल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
6. प्रभारी जांच/गोपनीय/कार्मिक (मंत्रालयिक) अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराजपत्रित)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

Document certified by ARIJIT
BANERJEE <ariban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT
BANERJEE
Designation : Principal Chief
Conservator Of Forest
Date :26-09-2024 05:34:06